रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (DN)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 1985/श्रावण 3, 1907

No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 1985/SRAVANA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1985

विषय—दिल्ली क्लाथ मिल को बन्द करने और इसके काम्पलैक्स का पुनर्विकास करने की जाँच पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन।

सं. एन-11016/31/85-डब्ल्यू. II (ए)—सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों की एक सरकारी समिति गठित करने का निर्णय लिया है:—

1. सदस्य

1. श्री आर. एल. परदीप — संयोजक
संयुक्त सचिव,
निर्माण और आवास मंत्रालय
नई दिल्ली।

2. श्री वीरेन्द्र प्रकाश — सदस्य
मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली।

3. श्री अशोक गुप्ता, — सदस्य
संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय
नई दिल्ली।

4. विधि विभाग, नई दिल्ली — सदस्य
का प्रतिनिधि

2. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:—

(क) उन परिस्थितियों की जाँच करना जिनके कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिनांक 1 फरवरी, 1983 के संकल्प संख्या 26 के अन्तर्गत दिल्ली क्लाथ मिल के काम्पलैक्स का पुनर्विकास करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उनके दिनांक 14-11-81 के आदेश संख्या एफ॰ 36/10/81-एल॰ एण्ड बी/ए एल सी आर के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 की धारा 20 के साथ पठित धारा 21(1) के तहत छूट देने की परिस्थितियों की जाँच करना।

(ग) दिल्ली क्लाथ मिल्स को बन्द करने में सहायक परिस्थितियाँ और नोटिस पर की गई कार्यवाही जो कि उन्होंने दिनांक 27-3-85 के अपने पत्र संख्या ... द्वारा श्रमायुक्त तथा अन्यों को भेजी।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) मदों में सन्दर्भित मामलों के बारे में प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जाँच करना तथा उसकी पर्याप्तता एवं औचित्य की सिफारिश करना।

(ङ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) मदों में सम्बन्धित कार्यवाही के विशेष सन्दर्भ में सम्पूर्ण मामले में कार्यवाही पर अपर्याप्तता या कमियों (लैप्स) के मुद्दे बताना ।

(च) इस बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करना ।

(छ) अन्य सम्बन्धित मामलों पर अन्य कोई सिफारिशें देना जिन्हें कि समिति आवश्यक या उपयुक्त समझती हो ।

4 समिति से अपनी रिपोर्ट तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है ।

आर एल पारदीप, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 24th July, 1985

RESOLUTION

Subject: Appointment of a Committee to enquire into the closure of Delhi Cloth Mills and re-development of its complex.

No. H-11016/32/85-DD-II(A) :—The Government have decided to consititute an Official Committee with the following members : -

1. MEMBERS

1. Shri R.L Pardeep,
Joint Secretary,
Ministry of Works & Housing,
New Delhi. --Convenor

2. Shri Virendra Prakash,
Chief Secretary, Delhi
Administration, Delhi. Member

3. Shri Ashok Gupta,
Joint Secretary,
Ministry of Labour,
New Delhi. Member

4. A representative from the
Department of Textiles,
New Delhi. Member

2. The terms of reference of the committee are: --

(a) to enquire into the circumstances leading to resolution no 26 dated 1st February 1983 of DDA permitting the redevelopment of the DCM complex :

(b) the circumstances leading to grant of exemption under Section 20(1), read with section 22 of the Urban Land Ceiling Act 1976 by Delhi Admn. vide their Order No. F. 36/10/83-L&B/ULCR dated 14-11-84.

(c) Circumstances leading to and action taken on the notice of closure of Delhi Cloth Mills conveyed vide their letter No. 28833 dated 27-3-85 to Labour Commissioner and others.

(d) to examine and recommend the adequacy and propriety of the action taken by the authorities involved in regard to the matters referred to in items (a), (b) and (c) above;

(e) to indicate points of inadequacy or lapses in action in the entire matter with specific reference to the action referred to in items (a), (b) and (c) above;

(f) to recommend future course of action in this regard;

(g) to make any other recommendations on connected matters which the committee may consider necessary or expedient to make.

3. The Committee will give its report within a period of three months.

R.L. PARDEEP, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985